कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति जारी करना

खतरनाक कारखानों के पंजीयन के लिए आवेदन कैसे करें:-

चरण-1	**आवेदन कब करें ?** अधिभोगी द्वारा परिसर का उपयोग कारखाने के रूप में उपयोग करने के 15 दिन पूर्व
चरण-2	**आवेदन कैसे करें?** एमपी ऑनलाईन पोर्टल पर जाने के लिये यहां क्लिक करें, लोग-इन कर कारखाना लायसेंस पंजीयन पर क्लिक करें। **प्रपत्र-1 अ** भरे । **प्रपत्र-4** आन लाइन भर कर डाऊनलोड कर हस्ताक्षर करके पुनः स्केन कर अपलोड करें तथा चाहे गये मूल प्रपत्र स्केन कर अपलोड करें। भेजे । या **प्रपत्र-4**, ऑनलाईन प्रविष्ठियां भर कर डाऊनलोड करे एवं हस्ताक्षर करके एमपी ऑनलाईन किओस्क में चाहे गये प्रपत्रों के साथ जमा करें।
चरण-3	**आवेदन कौन कर सकता है?** केवल अधिभोगी अधिभोगी कौन? 1. प्रोप्रायटरशीप की दशा में:- प्रोप्रायटर 2. भागीदारी फर्म होने की दशा में:- कोई भी भागीदार 3. लिमिटेड कंपनी होने की दशा में:-कोई भी संचालक

चरण-4	<u>**आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज स्केन कर अपलोड करनाः-**</u> **1.** आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो **2.** आवेदक के फोटो आयडेंण्टीटी की प्रति **3.** आवेदन **प्रपत्र** 4 की हस्ताक्षरयुक्त प्रति **4.** बैंक चालान/ सायबर ट्रेझरी रिसिप्ट/ लोक सेवा केन्द्र की रसीद शुल्क जमा होने के संबंध में हेड "0230 - **श्रम एवं रोजगार**, 104 - **कारखाना अधिनियम** 1948 **के अंतर्गत देय शुल्क**" **5.** जमीन के मालिकाना हक होने का प्रमाण (स्वयं की मिल्कियत/किराए की/पट्टे पर आदि) (i) निजी भूमि होने की स्थिति मेंः- रजिस्ट्री की प्रति मय औद्योगिक उपयोग के लिए व्यपवर्तन आदेश के साथ (ii) जिला उद्योग केन्द्र/औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कारखानों के लिएः-जिला उद्योग केन्द्र/औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा जारी पट्टा अभिलेख (iii) किराया/पट्टे पर होने की स्थिति मेंः- किरायानामा/ पट्टा अभिलेख मय औद्योगिक उपयोग के लिए व्यपवर्तन आदेश के साथ। **6.** अधिभोगी होने के संबंध में प्रमाणः- (i) प्रोप्रायटरशीप संस्थान होने की स्थिति मेंः-प्रोप्रायटर होने के संबंध में प्रमाण जैसे जिला उद्योग केन्द्र का पंजीयन प्रमाण पत्र / अभिस्वीकृति (ii) भागीदारी संस्थान होने की स्थिति मेंः- कार्यालय रजिस्ट्रार आफ फर्म्स से पंजीकृत भागीदारी लेख (iii) पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने की स्थिति मेंः-(अ) मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एण्ड आर्टीकल आॅफ एसोसिएशन की प्रति के साथ कंपनी सेक्रेटरी द्वारा सत्यापित संचालक मण्डल की सूची (ब) किसी एक संचालक को अधिभोगी नियुक्त करने के संबंध में संचालक मण्डल द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति।

	(iv) केन्द्रीय/राज्य शासन के संस्थान होने की स्थिति मेंः- सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को अधिभोगी घोषित करने के संबंध में जारी आदेश। **7.** भवन स्वामी द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम **1996** के अंतर्गत भवन उपकर स्वनिर्धारण प्रपत्र-**1** उपकर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने संबंधी प्रमाण **8.** स्थानीय निकाय से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र **9.** सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी भवन स्थायित्व प्रमाण पत्र प्रपत्र-**2** **10.** यदि बिल्डिंग के नक्शे पूर्व में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत नहीं है तब निम्न नक्शे आवेदन **प्रपत्र** 1 **ए** के साथ (आटोकेड नक्शे पीडीएफ फार्मेट में) **(i)** कारखाने के स्थान तथा ठीक आस-पास के स्थान के समीप के भवनों और अन्य संरचनाओं, सडक, नालियों आदि को सम्मिलित करते हुए जो **1** सेंटीमीटर बराबर **500** सेंटीमीटर से कम न होने वाले मान से बनाया गया हो **(ii)** नैसर्गिक प्रकाश, संवातन तथा आपातिक दशा में बच निकलने के साधनों से संबंधित समस्त सुसंगत ब्यौरा उपदर्शित करते हुए विभिन्न भवनों और संरचनाओं के प्लान एलिवेशन तथा आवश्यक क्रास सेक्शनल एलिवेशन संयत्र का स्पष्ट अभिन्यास, बगल के रास्ते तथा पास पहुंचने के मार्गों की स्थिति, संडास और पेशाब घर और स्वच्छता की अन्य व्यवस्थाओं को प्लान में स्पष्टतः दर्शाया जाएगा और वे **1** सेंटीमीटर बराबर **100** सेंटीमिटर से कम न होने वाले मान से बनाये जाएंगे। **(iii)** कारखाने में अपनाई जाने वाली उत्पादन प्रक्रिया का फ्लो चार्ट एवं उत्पादन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का संक्षिप्त ब्यौरा। **11.** ऑन लाईन इमरजंसी प्लान **DIHS** आफीस में जमा करने की प्राप्ति रसीद या अनुमोदित ऑन साईट प्लान का अनुमोदन पत्र प्रमाण हेतु।

	12. यदि कारखानें में प्रेशर व्हेसल्स एवं लिफ्टिंग मशीन (**Lifting Machine**) लगाई गई है तों उनकी सक्षम व्यक्ति से जांच की जांच रिपोर्ट। 13. जिला उद्योग केन्द्र के रजिस्ट्रेशन की प्रति। 14. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सहमति पत्र। 15. साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट में, **सक्षम व्यक्ति** द्वारा जारी प्लाण्ट फिटनेस प्रमाण पत्र की प्रति। 16. रॉ मटेरियल की लिस्ट। 17. हार्स पावर के प्रमाण के लिए बिजली बिल।
चरण-**5**	**शुल्क:** अनुसूची के अनुसार लागू शुल्क की गणना
चरण-**6**	**एमपी ऑनलाईन पोर्टल का कार्यसंपादन सेवा शुल्क:** 1. यदि एमपी ऑनलाईन किओस्क सेवा का उपयोग किया जाता है तो:- रू. **800/-** 2. यदि एमपी ऑनलाईन किओस्क की सेवा नहीं ली जाती है तो:- रू. **480/-** 3. यदि आवेदन लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से जमा किया जाता है तोः- रू. **30/-** अतिरिक्त शुल्क लोक सेवा केन्द्र द्वारा वसूल
चरण-**7**	**शुल्क कैसे जमा करें?** 1. सायबर ट्रेझरी के माध्यम सेः- सायबर ट्रेझरी की वेबसाईट पर जायें अन्य डिपार्टमेंट को क्लीक करे उसके पश्चात ड्राप डाऊन लिस्ट में श्रम विभाग को सिलेक्ट करें। सभी चाही गई सूचनाऐं जैसे उचित शीर्ष एवं उप शीर्ष आदि भरें। नेट बैकिंग/ ऑनलाईन से शुल्क अन्तरण करें, ट्रेझरी वेबसाईट द्वारा जनरेट चालान / रिसिप्ट को सेव कर प्रिंट लें। कृपया चालान / सायबर ट्रेझरी रिसिप्ट की जानकारी ऑनलाईन फार्म में दर्ज करें। **या**

	2. चालान द्वाराः- स्टेट बैंक आफ इण्डिया की शाखा में जाकर ऑनलाईन फार्म में मुख्य-उप मुख्य शीर्ष एवं अन्य जानकारी दर्ज कर शुल्क जमा करें **या** 3. एमपी ऑनलाईन किओस्क पर नगद जमा-यदि अनुज्ञप्ति शुल्क रूपये 10,000/- तक है तब एमपी ऑनलाईन किओस्क पर नगद जमा किये जा सकते हैं। एमपी ऑनलाईन किओस्क सायबर ट्रेजरी के माध्यम से श्रम विभाग के निर्धारित शीर्ष में शुल्क जमा कर तुरंत प्रिंटेड रिसिप्त प्राप्त कर आवेदक को देगा। 4. यदि लायसेंस शुल्क 10,000/- रूपयों से ज्यादा है तो आवेदक स्वयं इसे नेट बैंकिंग/ क्रेरडिट/ डेविट कार्ड से ऑनलाईन या उपरोक्त (i) एवं (ii) प्रक्रिया के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में जनरेटेड चालान से जमा कर सकता है।
चरण-**8**	**कार्यसंपादन शुल्क कैसे जमा करें?** **1.** यदि एमपी ऑनलाईन किओस्क सेवा का उपयोग किया जाता है तो:- एमपी ऑनलाईन किओस्क पर नगद भुगतान द्वारा **2.** यदि एमपी ऑनलाईन किओस्क की सेवा नहीं ली जाती है तो:- डेबीट/क्रेरडिट कार्ड या नेट बैकिंग का उपयोग कर
चरण-**9**	**आवेदन कौन और कैसे करेगा?** आवेदक स्वयं या एमपी ऑनलाईन किओस्क की सेवाओं का उपयोग कर आवेदन **फार्म न. 4** चाहे गये प्रपत्रों को स्केन कर एमपी ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करेगा।
चरण-**10**	**अनुमोदन की समय-सीमा** यह सेवा ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने की स्थिति से **30** कार्य दिवस में
चरण-**11**	**अनुज्ञप्ति आवेदक कैसे प्राप्त करेंगा?** डिजीटल हस्ताक्षरयुक्त अनुज्ञप्ति आवेदक द्वारा पोर्टल से डाऊनलोड कर

चरण-12	**अपीलीय अधिकारीः-** **प्रमुख सचिव / सचिव,** **श्रम विभाग,** **मध्यप्रदेश शासन,** **मंत्रालय, भोपाल ।** **अपील कब करेंः-** आवेदक का आवेदन बगैर किसी कारण से निरस्त करने या समय-सीमा में आवेदन का निराकरण नहीं करने पर आवेदक अपील करेगा।
चरण-13	**डिजीटल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण-पत्र का सत्यापनः-** आवेदक यदि चाहे तो स्वयं की संतुष्टि के लिए डिजीटल हस्ताक्षर के सत्यापन हेतु प्रमाण-पत्र की साफ्ट कापी में डिलीटल हस्ताक्षर पर क्लिक करें।